डाटा सेंटर पार्क के नियमों में बदलाव करेगा यमुना प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण अब योजना लाने से पहले नोएडा और ग्रेनो प्राधिकरण की तरह ही डाटा सेंटर पार्क के नियमों को लचीला बनाएगा। इससे आवेदनों की संख्या बढ़ सकेगी। इन संशोधन को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पेश करेगा। इसके अलावा मथुरा-राया में हेरिटेज सिटी की संशोधित डीपीआर रिपोर्ट, मास्टर प्लान-2041, सुरक्षा के मुद्दे और औद्योगिक, मिक्सलैंड, कॉमर्शियल एवं इंस्टीट्यूशनल को भी एकमुश्त समाधान योजना का लाभ दिया जाएगा। 12 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में करीब 25 मुद्दे पेश किए जाएंगे।

नियमों में सख्ती होने से डाटा सेंटर पार्क में कंपनियों ने आवेदन नहीं किया था। इससे योजना फ्लॉप हो गई। अधिकारियों ने फीडबैक लिया तो पता चला कि नोएडा और ग्रेनो प्राधिकरण से ज्यादा कड़े नियम होने के कारण कंपनियां आगे नहीं आईं। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि डाटा सेंटर बड़ी परियोजना है, इसलिए नियमों को नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण की तरह ही बनाए जाएंगे।

सीईओ ने संस्थागत, व्यावसायिक, मिश्रित श्रेणी और औद्योगिक परियोजनाओं के आवंटियों को भी ओटीएस का लाभ देने की योजना बनाई है। इनके आवंटियों के लिए भी ओटीएस योजना के प्रस्ताव को बोर्ड में रखने की बात कही है। औद्योगिक बकायेदारों पर 383 करोड़ रुपये तो संस्थागत पर 3132 करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा करीब 2500 करोड़ रुपये व्यावसायिक आवंटियों पर बकाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में अब यीडा अपना पक्ष रखेगा। इसमें यीडा ने सुरक्षा की पूरी प्रक्रिया को देखते हुए बोर्ड में ले जाने का निर्णय लिया है। ब्यूरो